

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबांकी, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर,
लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, एवं वाराणसी।

पत्रांक सं०— एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०पी०पी०सी०डी०/०६/२०१७-१८/११०२६-१६ दिनांक १३.२.२०१८

विषय : राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम हेतु रू० २८९.२० लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० के प्रस्तावानुसार जनपदों के संविदाकर्मियों का ०४ माह का मानदेय पूर्व में अवमुक्त किया जा चुका है। अतः ०८ माह (अगस्त २०१७ से मार्च २०१८) का मानदेय संविदाकर्मियों की सेवा अवधि के अनुसार ०५ प्रतिशत वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुए जनपदवार, मदवार एवं गतिविधिवार कुल रू० ५२११९००.०० की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है—

(Payment Advice No - ००१८१५०२५०१० - Dated - २७-१-२०१८)

National Programme for prevention & Control of Deafness (NPPCD)

(Amt. in Rs.)

S.No	Name of Districts	Audiologist B.30.11.14 @ 30,000 PM	Audiometric B.30.11.17@ 15,000 PM	Instructor B.30.11.17 @ 15000 PM	Total
1	Agra	0	138450	138450	276900
2	Aligarh	0	120000	120000	240000
3	Allahabad	240000	120000	120000	480000
4	Barabanki	0	120000	120000	240000
5	Banda	0	120000	120000	240000
6	Basti	258000	129000	129000	516000
7	Gorakhpur	0	129000	120000	249000

8	Jaunpur	240000	120000	120000	480000
9	Jhansi	0	120000	120000	240000
10	Kanpur Nagar	258000	129000	0	387000
11	Lucknow	0	129000	0	129000
12	Mirzapur	240000	120000	0	360000
13	Moradabad	240000	129000	129000	498000
14	Raebareli	0	120000	0	120000
15	Saharanpur	258000	129000	129000	516000
16	Varanasi	0	120000	120000	240000
Total		1734000	1992450	1485450	5211900

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
4. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
7. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
8. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की

गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू० / एन०सी०डी० / एन०पी०पी०सी०डी० / 06 / 2017-18 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०पी०पी०सी०डी० स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा० ए० बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद— आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बाराबांकी, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर,
लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, एवं वाराणसी।

पत्रांक सं०— एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०पी०पी०सी०डी०/०६/२०१७-१८/

दिनांक 13.2.2018

विषय : राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष २०१७-१८ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम हेतु रु० २८९.२० लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० के प्रस्तावानुसार जनपदों के संविदाकर्मियों का ०४ माह का मानदेय पूर्व में अवमुक्त किया जा चुका है। अतः ०८ माह (अगस्त २०१७ से मार्च २०१८) का मानदेय संविदाकर्मियों की सेवा अवधि के अनुसार ०५ प्रतिशत वेतनवृद्धि सम्मिलित करते हुए जनपदवार, मदवार एवं गतिविधिवार कुल रु० ५२११९००.०० की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है—

(Payment Advice No- Coll 815025010- Dated- 27-1-2018)

National Programme for prevention & Control of Deafness (NPPCD)

(Amt. in Rs.)

S.No	Name of Districts	Audiologist B.30.11.14 @ 30,000 PM	Audiometric B.30.11.17@ 15,000 PM	Instructor B.30.11.17 @ 15000 PM	Total
1	Agra	0	138450	138450	276900
2	Aligarh	0	120000	120000	240000
3	Allahabad	240000	120000	120000	480000
4	Barabanki	0	120000	120000	240000
5	Banda	0	120000	120000	240000
6	Basti	258000	129000	129000	516000
7	Gorakhpur	0	129000	120000	249000

8	Jaunpur	240000	120000	120000	480000
9	Jhansi	0	120000	120000	240000
10	Kanpur Nagar	258000	129000	0	387000
11	Lucknow	0	129000	0	129000
12	Mirzapur	240000	120000	0	360000
13	Moradabad	240000	129000	129000	498000
14	Raebareli	0	120000	0	120000
15	Saharanpur	258000	129000	129000	516000
16	Varanasi	0	120000	120000	240000
Total		1734000	1992450	1485450	5211900

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।
4. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
7. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
8. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की

गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

11026-1600

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/एन०पी०पी०सी०डी०/०६/२०१७-१८/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ०प्र०।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०पी०पी०सी०डी० स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।
8. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित।


(डा० ए० बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०